न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11 / 2020(राजसमन्दआर्डर)

श्रीमती गोपी बाई पत्नी स्व.राजू भील, निवासी बागपुरा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती चुन्नी बाई पत्नी स्व.नाथू भील, निवासी बागपुरा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. भूरी बाई पुत्री वीरम भील, निवासी बागपुरा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्ड अधिकारी,राजसमन्दप्रकरण संख्या 2823 / 2016दिनांक06.03.2020

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश तलेसराअभिभाषकअपीलान्ट
2. श्री रामलाल जाट अभिभाषक रे.सं. 2, 3
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

———::———

निर्णयदिनांक 13–03–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम प्रतापपुरा में आराजी नंबर 555 / 458 रकबा 5 बीघा भूमि स्थित है, जो पूर्व में प्रार्थीया के पति राजू पिता वीरम भील के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। प्रार्थीया के पति राजू का स्वर्गवास दिनांक 12–04–1988 को हो चुका है, उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीया ही एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी होकर मालिक काबिज है, अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है, लेकिन विपक्षी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीया के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाते हुए नामान्तरकरण अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीय प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 2 व 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीया के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:33 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा बताया कि प्रार्थीया ने जयराम भील की पत्नी होकर उसका निर्वाचन कार्ड संख्याKQQ/1512748है तथा उसके 6 संताने हैं। प्रार्थीया द्वारा नामान्तरकरण के विरूद्ध प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर द्वारा खारिज कर दी गयी है तथा प्रार्थीया भील जाति की होने से उस पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। प्रार्थीया ने फर्जी तरीके से राजू को पति बताया है, जबकि राजू पिता वीरम भील से प्रार्थीया का कोई संबंध नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 06–03–2020 से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्रखारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीया द्वारा दिनांक 31–08–2020 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल जाट उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया किकोविड 19 के कारण किसी प्रकार की राजकीय व गैर राजकीय अतिविधिया संचालित नहीं हो रही थी, जिससे समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अपीलान्ट ने जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार फरमाई जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सही अवलोकन नहीं किया है। विवादित भूमि अपीलान्ट के पति राजू की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिस पर वह अपने पति के समय से काबिज चली आ रही है। अपीलान्ट के अलावा मृतक राजू का कोई अन्य वारिस नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उसे दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 765 के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीया का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध निर्वाचन विभाग के पहचान पत्र संख्या KQQ/1512748 अनुसार प्रार्थीया/अपीलान्ट वर्तमान में जयराम की पत्नी होना साबित है, जिससे प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–03–2020यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13–03–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:07:33 IST
Reason: SelfAttested